

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(04)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 27/09/2021 की पालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 04.10.2021 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों/आश्रम छात्रावासों/कार्यालयों में रिक्त पदों पर चयनित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक: एफ 3(ए)()शिक्षा /सीटीएडी/2021-22/36042 दिनांक: 30.11.2021 द्वारा उक्त जारी प्रतिनियुक्ति आदेश में क्रम संख्या 8, 9, 20, 15 पर अंकित कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है-

क्र. स.	आदेश में अंकित नाम व पद	आदेश में वर्णित	प्रतिनियुक्ति स्थान	संशोधन
8	श्री कलचन्द, वरि. अध्यापक (गणित)	राउमावि केसरपुरा, धमोत्तर, प्रतापगढ़	ईएमआरएस पीपलखूंट, प्रतापगढ़	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- रा.उ.मा.वि. केसरपुरा, पीपलखूंट, प्रतापगढ़
9	इन्द्रा मीणा, अध्यापिका	राउमावि कूपड़ा, बांसवाड़ा	ईएमआरएस पीपलखूंट, प्रतापगढ़	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- रा.उ.मा.वि. कूपड़ा, प्रतापगढ़ पदनाम में परिवर्तन- व.अ. (सा. विज्ञान)
20	श्री संदीप कुमार, वरि. अध्यापक	राउमावि खाजूवाला बीकानेर	ईएमआरएस नागदेडा, प्रतापगढ़	नाम में परिवर्तन- श्री संदीप कुमार प्रतिनियुक्ति पदनाम में परिवर्तन- अधीक्षक
15	श्री असलम खां पटान, अध्यापक	राउमावि दांतलिया, पीपलखूंट, प्रतापगढ़	ईएमआरएस नागदेडा, प्रतापगढ़	विद्यालय के नाम में परिवर्तन- रा.उ.मा.वि. दांतलिया, धरियावद, प्रतापगढ़

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13401/आ.विद्यालय(टी.ए.डी)/प्रतिनियुक्ति/2020/85 दिनांक: 07/12/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 2- आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), बीकानेर/उदयपुर संभाग।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, बीकानेर/प्रतापगढ़/बांसवाड़ा।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 6- रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)